प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 06.05.2025

अवैध व कूटरचित फिंगर प्रिंट, मार्कशीट व अन्य प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध व कूटरचित प्रमाण पत्र, प्रिंटिंग करने की सामग्री व अन्य सामान बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में, उ0नि0 आशीष कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. इमरान खान व 2. श्याम बिहारी गुफ्ता उर्फ गंगाराम को अंगूठे का क्लोन तैयार करने, फर्जी अंकपत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र व अन्य फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले उपरकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. इमरान खान पुत्र फुन्ने खान निवासी निचलौल जनपद महराजगंज हालपता हुमायुपुर उत्तरी
2. श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम पुत्र अर्जुन लाल गुप्ता निवासी बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 107/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) भा0न्या0सं0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

बरामदगी विवरण-

अवैध व कूटरचित प्रमाण पत्र , प्रिंटिंग करने की सामग्री व अन्य सामान बरामद

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आशीष कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रविकान्त यादव थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आलोक कुमार शुक्ला थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
4. कां0 अनिकेत सिंह थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर